तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय. की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में ज्ञात है कि वादी पक्ष द्वारा धारित खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 152 रकबा 2.43 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादी द्वारा दखलन्दाजी करने तथा वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु सीमा पर पोल लगाकर तारबंदी करने के कार्य में व्यवधान करने से वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की है। वादीनी के वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब अवसर बंद किया गया। वादी पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के दौरान वर्णित भूमि के विवाद के संबंध में नायब तहसीलदार नाना व R.I. नाना द्वारा मौका जाँच के पश्चात की गई कार्यवाही / मय मौका फर्द दिनांक 22-07-2022 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जिसमें भी प्रतिवादी व वादी के मध्य विवाद होने से नायब तहसीलदार नाना व अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादी व अन्य प्रभावित खातेदारों को खसरा नंबर 152 व ग्राम नाना के मॉडल तालाब के बीच कोई रास्ता नहीं होने से प्रभावित खातेदारों को अपना अनुतोष प्राप्त करने के लिये धारा 251 A के विधि के प्रावधानों की जानकारी देते हुये पक्षकारों में समझाईश की गई। इस प्रकार वादीनी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा नंबर 152 रकबा 2.43 हैक्टर में प्रतिवादी पक्ष द्वारा दखलन्दाजी करने से वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 को सार्वकालिक निषेधाज्ञा से रोके जाने की अधिकारिणी है। वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	

तारीख हुक्म

वादीनी के खातेदारी भूमि ग्राम नाना के खसरा नं 152 रकबा 2.43 हैक्टर की तारबंदी करने में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

SD

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
इजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.**

वादी :–

श्रीमती मांगु कुंवर पत्नी अमरसिंहजी जाति राजपूत
निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

1. कालूराम पुत्र टेकाराम जाति छीपा निवासी नाना
2. नायब तहसीलदार, नाना उप तहसील कार्यालय नाना
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 49/2021 Gems No. 2021/130
वाद अन्तर्गत धारा 92 ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि नाना के खसरा नंबर 152 रकबा 2.43 हैक्टर की तारबंदी करने में प्रतिवादी संख्या 01 किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-3-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner